



भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-एम.एच.-अ.-23082023-248241
CG-MH-E-23082023-248241

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग III—खण्ड 4
PART III—Section 4

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 583]

नई दिल्ली, मंगलवार, अगस्त 22, 2023/श्रावण 31, 1945

No. 583]

NEW DELHI, TUESDAY, AUGUST 22, 2023/SHRAVANA 31, 1945

भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड

अधिसूचना

मुंबई, 22 अगस्त, 2023

भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड (निक्षेपागार और सहभागी) (दूसरा संशोधन) विनियम, 2023

सं. सेबी/एलएडी-एनआरओ/जीएन/2023/147.—बोर्ड, निक्षेपागार अधिनियम, 1996 (1996 का 22) की धारा 25 के साथ पठित भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड अधिनियम, 1992 (1992 का 15) की धारा 30 द्वारा प्रदान की गई शक्तियों का प्रयोग करते हुए एतद्वारा भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड (निक्षेपागार और सहभागी) विनियम, 2018 का और संशोधन करने के लिए निम्नलिखित विनियम बनाता है, अर्थात्:-

- इन विनियमों को भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड (निक्षेपागार और सहभागी) (दूसरा संशोधन) विनियम, 2023 कहा जा सकेगा।
- ये विनियम राजपत्र में इनके प्रकाशित होने की तारीख से लागू होंगे।
- भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड (निक्षेपागार और सहभागी) विनियम, 2018 में-
 - विनियम 23 के स्थान पर निम्नलिखित विनियम आ जाएगा, अर्थात्,-

“‘उपयुक्त तथा उचित व्यक्ति’ से संबंधित अपेक्षाएँ और मानदंड

23.(1)(क) 'उपयुक्त तथा उचित व्यक्ति' से संबंधित मानदंड आवेदक, निक्षेपागार (डिपॉज़िटरी), उसके शेयरधारकों, निदेशकों और प्रबंध-मंडल के मुख्य व्यक्तियों (की मैनेजमेंट पर्सोनल) पर हमेशा लागू रहेंगे।

(ख) निक्षेपागार यह सुनिश्चित करेगा कि उसके सभी शेयरधारक, निदेशक और प्रबंध-मंडल के मुख्य व्यक्ति हमेशा 'उपयुक्त तथा उचित व्यक्ति' से संबंधित मानदंडों को पूरा करें।

(2) इन विनियमों के प्रयोजनार्थ, आवेदक, निक्षेपागार को 'उपयुक्त तथा उचित व्यक्ति' तभी माना जाएगा, जब

(क) से व्यक्ति के बारे में आम तौर पर यह राय हो कि वह अपने कामकाज में पूरी निष्पक्षता और ईमानदारी बरतता है, जैसे कि उसके बारे में यह राय हो कि -

(i) वह पैसों के लेनदेन में ईमानदार है;

(ii) उसकी अच्छी साख है और उसका चरित्र भी अच्छा है; और

(iii) वह ईमानदार है;

(ख) ऐसे व्यक्ति -

(i) को किसी न्यायालय द्वारा किसी आर्थिक अपराध का या प्रतिभूतियों (सिक्क्यूरिटीज़) से संबंधित कानूनी प्रावधानों के उल्लंघन का दोषी न ठहराया गया हो;

(ii) के खिलाफ परिसमापन (वाइंडिंग-अप) का आदेश पारित न किया गया हो;

(iii) को दिवालिया घोषित न किया गया हो और यदि किया गया हो तो उसे दिवालियेपन के मामले में बरी कर दिया गया हो;

(iv) को प्रतिभूतियों में लेनदेन करने या प्रतिभूति बाजार (सिक्क्यूरिटीज़ मार्केट) से किसी भी तरह से जुड़ने से रोकते हुए, प्रतिषिद्ध करते हुए या वर्जित करते हुए बोर्ड द्वारा कोई आदेश पारित न किया गया हो, और यदि पारित किया गया हो, तो आदेश में जितनी अवधि का जिक्र हो उस अवधि को पूरे हुए तीन वर्ष बीत चुके हों;

(v) के खिलाफ ऐसा कोई अन्य आदेश बोर्ड द्वारा पारित न किया गया हो, जो प्रतिभूति बाजार (सिक्क्यूरिटीज़ मार्केट) से जुड़े किसी मामले से संबंधित हो, और यदि पारित किया गया हो, तो आदेश की तारीख से तीन वर्ष पूरे हो चुके हों:

परंतु यह कि उप-खंड (iv) और (v) के प्रयोजनार्थ, यदि किसी निक्षेपागार के खिलाफ बोर्ड द्वारा कोई आदेश पारित किया गया हो, तो उससे उस निक्षेपागार के कामकाज पर कोई असर नहीं पड़ेगा, जब तक कि आदेश में स्पष्ट रूप से कोई उल्लेख न किया जाए।

(vi) के खिलाफ अधिनियम या भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड अधिनियम, 1992 (1992 का 15) के तहत बोर्ड की वसूली कार्यवाहियाँ न चल रही हों;

(vii) की वित्तीय स्थिति अच्छी हो या उसे 'इरादतन चूककर्ता' (जानबूझकर चूक करने वाले व्यक्ति) की श्रेणी में न रखा गया हो; और

(viii) अयोग्यता की ऐसी ही कोई अन्य शर्त, जो बोर्ड द्वारा समय-समय पर निर्धारित की जाए।

(3) इन विनियमों के प्रयोजनार्थ, निक्षेपागार के शेयरधारकों, निदेशकों या प्रबंध-मंडल के मुख्य व्यक्तियों को तभी 'उपयुक्त तथा उचित व्यक्ति' माना जाएगा, जब -

(क) वे इस विनियम के उप-विनियम (2) में निर्धारित किए गए मानदंडों को पूरा करते हों; और

(ख) सक्षम अधिकारिता वाले न्यायालय द्वारा यह निष्कर्ष न निकाला गया हो कि उनकी दिमागी हालत ठीक नहीं है और उन्हें भगोड़ा आर्थिक अपराधी घोषित न किया गया हो; और

(ग) उन्हें नैतिकता के आधार पर दोषी न ठहराया गया हो।

- (4) यदि निक्षेपागार के किसी निदेशक या प्रबंध-मंडल के मुख्य व्यक्ति को उप-विनियम (3) के अनुसार 'उपयुक्त तथा उचित व्यक्ति' नहीं माना जाता, तो ऐसे में निक्षेपागार को उस व्यक्ति के अयोग्य हो जाने की तारीख से तीस दिनों के भीतर उसकी जगह किसी दूसरे व्यक्ति को नियुक्त करना होगा, और यदि ऐसा न किया गया तो निक्षेपागार के खिलाफ 'उपयुक्त तथा उचित व्यक्ति' से संबंधित मानदंडों के अनुसार कार्रवाई की जा सकती है।
- (5) यदि उप-विनियम (2) के अनुसार कोई निक्षेपागार अयोग्य हो जाए, तो उसका अर्थ यह नहीं लगाया जाएगा कि उसके निदेशक या प्रबंध-मंडल के मुख्य व्यक्ति भी 'उपयुक्त तथा उचित व्यक्ति' नहीं रहेंगे, बशर्ते कि उन्हें भी उसी मामले में अयोग्य न ठहराया जाए।
- (6) बोर्ड जब किसी व्यक्ति के बारे में यह तय करेगा कि वह व्यक्ति 'उपयुक्त तथा उचित व्यक्ति' के मानदंडों पर खरा उतरता है या नहीं, उस समय बोर्ड किसी दूसरे विनियामक प्राधिकरण (रेग्यूलेटरी अथॉरिटी) द्वारा उस व्यक्ति के खिलाफ पारित किए गए आदेश पर भी गौर कर सकेगा।
- (7) यदि निक्षेपागार द्वारा किसी व्यक्ति को 'उपयुक्त तथा उचित व्यक्ति' माने जाने के बारे में लिए गए निर्णय को लेकर कोई सवाल खड़ा होता है, तो ऐसे मामले में बोर्ड का निर्णय अंतिम माना जाएगा।”

- II. विनियम 24 में, उप-विनियम (14) में, खंड (ख) में, परंतुक में, शब्दों “ऐसे निदेशक हों” के स्थान पर शब्द “ऐसे निदेशक शामिल हों” आ जाएँगे।
- III. विनियम 28 में, उप-विनियम (6) में, शब्दों “के तहत रिपोर्ट में यह उल्लेख किया जाएगा” के स्थान पर शब्द “में जिस रिपोर्ट का जिक्र है उसमें यह बताना होगा” आ जाएँगे।
- IV. विनियम 30 में, उप-विनियम (2) में, चिह्न तथा शब्द “, जिनमें” के स्थान पर शब्द “में ये” आ जाएँगे, और उप-विनियम (3) में शब्दों तथा चिह्न “समितियाँ, जिनमें” के स्थान पर शब्द “समितियों में ये” आ जाएँगे।

विनियम 35 में, खंड (घ) में, शब्द “आवेदक” के बाद और शब्द “उपयुक्त” से पहले, शब्द, चिह्न तथा अंक “भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड (मध्यवर्ती) विनियम, 2008 [सेबी (इंटरमीडियरीज़) रेग्यूलेशन, 2008] के अनुसार” जोड़े जाएँगे।

बबीता रायडू, कार्यपालक निदेशक

[विज्ञापन III/4/असा./366/2023-24]

पाद टिप्पण :

1. भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड (निक्षेपागार और सहभागी) विनियम, 2018, सं. सेबी/एल.ए.डी.-एन.आर.ओ./जी.एन./2018/40, 3 अक्तूबर, 2018 को भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे।
2. भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड (निक्षेपागार और सहभागी) विनियम, 2018 तत्पश्चात्,—
 - क. 4 जून 2019 को भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड (निक्षेपागार और सहभागी) (संशोधन) विनियम, 2019, सं. सेबी/एल.ए.डी.-एन.आर.ओ./जी.एन./2019/20, द्वारा
 - ख. 21 फरवरी, 2020 को भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड (निक्षेपागार और सहभागी) (संशोधन) विनियम, 2020, सं. सेबी/एल.ए.डी.-एन.आर.ओ./जी.एन./2020/04, द्वारा
 - ग. 17 अप्रैल, 2020 को भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड (रेग्यूलेटरी सैंडबॉक्स) (संशोधन) विनियम, 2020, सं. सेबी/एल.ए.डी.-एन.आर.ओ./जी.एन./2020/10, द्वारा
 - घ. 5 मई, 2021 को भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड (फीस का भुगतान और भुगतान का माध्यम) (संशोधन) विनियम, 2021, सं. सेबी/एल.ए.डी.-एन.आर.ओ./जी.एन./2021/23, द्वारा

- ड. 3 अगस्त, 2021 को भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड (रेग्यूलेटरी सैंडबॉक्स) (संशोधन) विनियम, 2021, सं. सेबी/एलएडी-एनआरओ/जीएन/2021/30, द्वारा
- च. 13 अगस्त, 2021 को भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड (निक्षेपागार और सहभागी) (संशोधन) विनियम, 2021, सं. सेबी/एल.ए.डी.-एन.आर.ओ./जी.एन./2021/43, द्वारा
- छ. 26 अक्तूबर, 2021 को भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड (निक्षेपागार और सहभागी) (दूसरा संशोधन) विनियम, 2021, सं. सेबी/एल.ए.डी.-एन.आर.ओ./जी.एन./2021/53, द्वारा
- ज. 23 फरवरी, 2022 को भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड (निक्षेपागार और सहभागी) (संशोधन) विनियम, 2022, सं. सेबी/एलएडी-एनआरओ/जीएन/2022/74, द्वारा
- झ. 2 मार्च, 2023 को भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड (निक्षेपागार और सहभागी) (संशोधन) विनियम, 2023, सं. सेबी/एलएडी-एनआरओ/जीएन/2023/125, द्वारा संशोधित हुए थे।

SECURITIES AND EXCHANGE BOARD OF INDIA

NOTIFICATION

Mumbai, the 22nd August, 2023

SECURITIES AND EXCHANGE BOARD OF INDIA (DEPOSITORIES AND PARTICIPANTS)

(SECOND AMENDMENT) REGULATIONS, 2023

No. SEBI/LAD-NRO/GN/2023/147.—In exercise of the powers conferred by section 30 of the Securities and Exchange Board of India Act, 1992 (15 of 1992) read with section 25 of the Depositories Act, 1996 (22 of 1996), the Board hereby makes the following regulations to further amend the Securities and Exchange Board of India (Depositories and Participants) Regulations, 2018 namely:—

2. These regulations may be called the Securities and Exchange Board of India (Depositories and Participants) (Second Amendment) Regulations, 2023.

They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

3. In the Securities and Exchange Board of India (Depositories and Participants) Regulations, 2018-

I. regulation 23 shall be substituted with the following, namely,-

“Requirement and criteria of fit and proper

23(1) (a) The ‘fit and proper person’ criteria shall apply to the applicant, depository, its shareholders, directors and key management personnel at all times.

(b) The depository shall ensure that all its shareholders, directors and key management personnel are fit and proper persons at all times.

(2) For the purpose of these regulations, an applicant, or a depository shall be deemed to be a fit and proper person, if -

(a) such a person has a general reputation and record of fairness and integrity, including but not limited to —

(i) financial integrity;

(ii) good reputation and character; and

(iii) honesty;

(b) such a person has not incurred any of the following disqualifications—

(i) conviction of the person by a court for any economic offence or an offence of the securities laws;

- (ii) an Order for winding up has been passed against the person;
- (iii) the person has been declared insolvent and has not been discharged;
- (iv) an Order; restraining, prohibiting or debarring the person from dealing in securities or from accessing the securities market, has been passed by the Board and a period of three years from the date of the expiry of the period specified in the Order has not elapsed;
- (v) any other Order against the person which has a bearing on the securities market, has been passed by the Board and a period of three years from the date of the Order has not elapsed:

Provided that for the purpose of sub-clauses (iv) and (v), any Order passed by the Board against a depository shall not affect the operation of such a depository unless expressly mentioned in the Order.

- (vi) the Board has initiated recovery proceedings under the Act or the Securities and Exchange Board of India Act, 1992 (15 of 1992) that are pending;
 - (vii) the person is not financially sound or has been categorized as a willful defaulter; and
 - (viii) any other disqualification as may be specified by the Board from time to time.
- (3) For the purpose of these regulations, the shareholders, directors or key management personnel of the depository, shall be deemed to be fit and proper if,-
- (a) they fulfil the criteria specified under sub-regulation (2) of this regulation; and
 - (b) they have not been found to be of unsound mind by a court of competent jurisdiction and have not been declared a fugitive economic offender; and
 - (c) they have not been convicted of an offence involving moral turpitude.
- (4) If any director or key management personnel of a depository is not deemed to be fit and proper under sub-regulation (3), the depository shall replace such a person within thirty days from the date of such disqualification, failing which the fit and proper person criteria may be invoked against the depository.
- (5) Any disqualification of the depository under sub-regulation (2) shall not have any bearing on the fit and proper status of the directors or key management personnel unless the directors or key management personnel are also found to incur the same disqualification in the said matter.
- (6) An order passed against the person by any other regulatory authority may be taken into account by the Board while determining the fit and proper person criteria.
- (7) If any question arises on the decision of a depository as to whether a person is a fit and proper person, the decision of the Board on such question shall be final.”

- II. in regulation 24, in sub-regulation (14),
- (i) in clause (a), the words “comprise of”, wherever they occur, shall be substituted with the words “consist of”.
 - (ii) in the proviso to clause (b), the words “comprises of” shall be substituted with the words “consists of”.
- III. in regulation 28, in sub-regulation (6), the word “comprise of” shall be substituted with the words “consist of”.
- IV. in regulation 30, in sub-regulations (2) and (3), the words “comprising of” shall be substituted with the words “consisting of”.
- V. in regulation 35, in clause (d), after the words “fit and proper person” and before the word and symbol “; and” the words and symbol “under the Securities and Exchange Board of India (Intermediaries) Regulations, 2008” shall be inserted.

BABITHA RAYUDU, Executive Director

[ADVT.-III/4/Exty./366/2023-24]

Footnote:

1. The Securities and Exchange Board of India (Depositories and Participants) Regulations, 2018 were published in the Gazette of India on October 3, 2018 vide No. No. SEBI/LAD-NRO/GN/2018/40.
2. The Securities and Exchange Board of India (Depositories and Participants) Regulations, 2018 were subsequently amended on, –
 - a. 4th June, 2019 by the Securities and Exchange Board of India (Depositories and Participants) (Amendment) Regulations, 2019 vide No. SEBI/LAD-NRO/GN/2019/20.
 - b. 21st February, 2020 by the Securities and Exchange Board of India (Depositories and Participants) (Amendment) Regulations, 2020 vide No. SEBI/LAD-NRO/GN/2020/04.
 - c. 17th April, 2020, by the Securities and Exchange Board of India (Regulatory Sandbox) (Amendment) Regulations, 2020, vide No. SEBI/LAD-NRO/GN/2020/10.
 - d. 5th May, 2021, by the Securities and Exchange Board of India (Payment of Fees and Mode of Payment) (Amendment) Regulations 2021, vide No. SEBI/LAD-NRO/GN/2021/23.
 - e. 3rd August, 2021, by the Securities and Exchange Board of India (Regulatory Sandbox) (Amendment) Regulations, 2021, vide No. SEBI/LAD-NRO/GN/2021/30.
 - f. 13th August, 2021 by the Securities and Exchange Board of India (Depositories and Participants) (Amendment) Regulations, 2021 vide No. SEBI/LAD-NRO/GN/2021/43.
 - g. 26th October 2021 by the Securities and Exchange Board of India (Depositories and Participants) (Second Amendment) Regulations, 2021 vide No. SEBI/LAD-NRO/GN/2021/53.
 - h. 23rd February 2022 by the Securities and Exchange Board of India (Depositories and Participants) (Amendment) Regulations, 2022 vide No. SEBI/LAD-NRO/GN/2022/74.
 - i. 2nd March 2023 by the Securities and Exchange Board of India (Depositories and Participants) (Amendment) Regulations, 2023 vide No. SEBI/LAD-NRO/GN/2023/125.